ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 78-80

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

महिलाएं एवं घरेलू हिंसा

धर्मेश कुमार सिंह

शोध अध्येता– समाजशास्त्र विभाग, उदय प्रताप स्वायत्तशासी महाविद्यालय, वाराणसी, (उ0प्र0), भारत

Received- 05 .02. 2022, Revised- 10 .02 2022, Accepted - 12.02.2022 E-mail: dharmeshsingh045@gmail.com

सारांशः ***–घरेलू दायरे में होने वाली हिंसा को घरेलू हिंसा कहाँ जाता है। किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके साथ महिला के पारिवारिक सम्बन्ध है घरेलू हिंसा में शामिल है।***

सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है लेकिन प्रत्येक वर्ष घरेलू हिंसा के जितने मामले सामने आते है वे एक चिंतनीय स्थिति को रेखांकित करते है। हमारे देश में घरो के बन्द दरवाजें के पीछें लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों, शहरों और महानगरों में भी हो रहा है। घरेलू हिंसा और महिला शोषण सभी सामाजिक वर्गो, लिंग, नस्ल और आयु समूहों को पार कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिये एक विरासत बनती जा रही है। महिलाओं के शोषण तथा घरेलू हिंसा के कारण समाज और बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव तथा समस्या समाधान के उपाय तलाशनें का प्रयास किया जाएगा।

कुंजीभूत शब्द– घरेलू दायरे, घरेलू हिंसा, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक सम्बन्ध।

महिलाओं के शोषण और घरेलू हिंसा में काफी कमी 'घरेलू हिंसा अधिनियम' (2005) बनने के बाद समाज में इसका कुछ प्रभाव दिखायी पड़ने लगा है। महिला आज शिक्षा के माध्यम से अपने अधिकार के प्रति सजग हुई है, वह अपने प्रति हिंसा का विरोध कर रही है। किसी महिला को शारीरिक पीड़ा देना जैसे मारपीट करना, धकेलना, ठोकर मारना, किसी वस्तु से मारना या किसी अन्य तरीके से महिला को शारीरिक पीड़ा देना, महिला को अश्लील–साहित्य या अश्लील–तस्वीरों को देखने के लिये विवश करना, बलात्कार करना, दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करना, किसी महिला या लड़की को अपमानित करना, उसके चरित्र पर दोषारोपड़ करना, उसकी शादी इच्छा के विरूद्ध करना, हत्या की धमकी देना, मौखिक दुर्व्यवहार करना आदि। 'यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड' रिपोर्ट के अनुसार, लगभग दो–तिहाई विवाहित भारतीय महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार है और भारत में 15–49 आयु वर्ग की 70 प्रतिशत विवाहित महिलाएँ पिटाई, बलत्कार या जबरन यौन–शोषण का शिकार होती है।

महिलाओं के शोषण और घरेलू हिंसा का मुख्य कारण मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएं, पुरूषों के तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होती है। प्राप्त दहेज से असंतुष्टि, सभी के साथ बहस करना, उसके साथ यौन सम्बन्ध बनाने से इनकार करना, बच्चों की उपेक्षा करना, साथी का बताये बिना घर से बाहर जाना, स्वादिष्ट खाना न बनाना शामिल है। विवाहेत्तर सम्बन्धों में लिप्त होना, ससुराल वालों की देखभाल न करना, कुछ मामलों में महिलाओं में बाँझपन भी परिवार के सदस्यों द्वारा उन पर हमले का कारण बनता है। पुरूषों के प्रति घरेलू हिंसा के कारणों में पत्नियों के निर्देशों का पालन न करना, पुरूषों की अपर्याप्त कमाई, विवाहेत्तर सम्बन्ध घरेलू गतिविधियों में पत्नी की मदद नहीं करना है। बच्चों की उचित देखभाल न करना, पति–पत्नी के परिवार को गाली देना, पुरूषों का बाँझपन आदि कारण है।

महिलाओं के शोषण और घरेलू हिंसा समाप्त करने के लिए महिलाओं को शिक्षित करना एक उपाय हो सकता है पर समस्या का पूरा समाधान नहीं। इसके साथ–साथ हमें उस पुरूष प्रधान सत्ता का अन्त करना भी होगा, जो सदियों से चली आ रहीं है हमें समाज के उन कुरीतियों को दूर करना होगा, जो घरेलू हिंसा को बढ़ाती है जैसे पुत्र के न होने पर महिला की उपेक्षा की जाती है। मासिक धर्म के दौरान उससे दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। समाज में समानता की सोच विकसित करना आवश्यक है।

महिलाओं की सुरक्षा अब भारत में एक प्रमुख विषय बन गया है, देश में महिला के खिलाफ अपराध की दर बहुत हद तक बढ़ी है। महिलाऐं अपने घरों से बाहर निकलने के पहले दस बार सोचती है खासकर रात में, भारत में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त है। उसके बावजूद, महिलाओं का उत्पीड़न होता है, महिलाएं अब देश में सम्मानित पदों पर है लेकिन अगर हम पर्दे के पीछे नजर डाले तो भी हम देखते है कि उनका शोषण हो रहा है। घरेलू हिंसा को रोकन के लिए पुरूषों के साथ–साथ स्वयं महिला को महिला के प्रति सोच का नजरिया बदलना पड़ेगा। महिला की सुरक्षा व संरक्षण के लिए बने कानूनों को सफल क्रियान्वित जरूरी है। किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके साथ महिला के पारिवारिक सम्बन्ध है।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

घरेलू हिंसा में शामिल है। घरेलू हिंसा पर तभी रोक लगाई जा सकती है जब अन्नाय का शिकार होती महिला का शीघ्र न्याय मिले।

महिलाओं को घरेलू हिंसा से निजात दिलाने के लिए उन्हें स्वावलम्बी बनाया जाए इससे उनमें आत्म–विश्वास बढ़ेगा जिससे वे किसी भी घरेलू हिंसा का मुकाबला कर सकेगी। शिक्षित स्वावलम्बी नारी ही समाज को शक्तिशाली बना सकती है, घरेलू हिंसा के कानूनों को कड़ा बनाना चाहिए। जब लड़की अपने पैरों पर खड़ी होने लायक हो, तभी उसका विवाह किया जाना चाहिए।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में घरेलू हिंसा की मुख्य जड़ पति–पत्नी के रिश्ते के मध्य बढ़ती खटास के साथ ही देहेज प्रथा भी है, सामाजिक, युगलों के मध्य आजीवन समन्वय महिलाओं का सम्मान सशक्तिकरण के साथ ही दहेज मुक्त समाज का होना भी आवश्यक है।

बेरोजगारी और नशा घरेलू हिंसा के सबसे प्रमुख कारण है। इन दोनों समस्याओं के निराकरण होने पर घरेलू हिंसा पर एक सीमा तक रोक लग सकती है। केवल कानून बना देने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। बेरोजगारी और नशे पर लगाम लगाकर ही घरेलू हिंसा पर रोक लगाई जा सकती है।

महिला सुरक्षा को लेकर बनाए गये नियम व कानून के बाद भी महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की घटनाए समाज की स्त्री के प्रति संकुचित मानसिकता व्यक्त करती है। भारत ही नहीं अपितु विश्व स्तर पर घरेलू हिंसा के मामलों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। ऐसी हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए अब महिलाओं को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है, ताकि स्वयं हानि पहुँचाने वालों के विरूद्ध आवाज उठा सके। सामोहिक तौर पर इस विषय पर गम्भीरता से विचार करते हुए ऐसी हिंसक घटनाओं का रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी सामाजिक अभियान की शुरूआत करनी चाहिए।

महिलाओं के प्रति हिंसा एक बहु–आयायी मुद्दा है जिसके सामाजिक, निजी, सार्वजनिक और लैगिंक पहलू है। एक पहलू से निपटे तो दूसरा पहलू नजर आने लगता है। घरेलू हिंसा महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा का एक जटिल और घिनौना स्वरूप है।

घरेलू हिंसा की घटनाएँ कितनी व्यापक है, यह तय कर पाना मुश्किल है। यह एक ऐसा अपराध है जो अक्सर छुपाया जाता है जिसका रिपोर्ट कम दर्ज की जाती है और कई बार तो इसे नकार दिया जाता है। निजी रिष्तों में घरेलू हिंसा की घटना को स्वीकार करने का अवसर रिश्तों के चरमराने से जोड़कर देखा जाता है। समाज के स्तर पर घरेलू हिंसा की हकीकत को स्वीकार करने से यह माना जाता है कि विवाह और परिवार जैसे स्थापित सामाजिक ढ़ाचों में महिलाओं की खराब स्थिति को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इन सबके बावजूद भी घरेलू हिंसा के जितने केस रिपोर्ट होते है, वे आँकड़े चौकाने वाले है, भारत में हर पाँच मिनट पर घरेलू हिंसा की एक घटना रिपोर्ट की जाती है।

महिला को उसके तथा उसके बच्चों के रख रखाव के लिए पैसे न देना, उसे भोजन, कपड़े, दवा आदि न देना, महिला को घर में न रखना, घर के किसी भाग पर पहुँच अथवा प्रयोग से रोकना, उसे कोई रोजगार करने से रोकना अथवा बाधा डालना, किराये के मकान वाले मामले में किराया का भुगतान न करना, महिला की जानकारी और सहमति के बिना उसके स्त्री धन तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं को बेचना या गिरवी रखना, जबरजस्ती उनका वेतन, आय या मजदूरी को लेना, बिजली आदि जैसे अन्य बिलों का भुगतान न करना शामिल है।

घरेलू हिंसा का प्रभाव– घरेलू हिंसा का सबसे बुरा पहलू यह कि कि इससे पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात से वापस नहीं आ पाता है ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि लोग का तो अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठते है या फिर अवसाद का शिकार हो जाते है।

यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना किया है तो उनके लिये इस डर से बाहर आ पाना अत्यधिक कठिन होता है। अनवरत रूप से घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद व्यक्ति की सोच में नकारात्मकता हावी हो जाती है। उस व्यक्ति को स्थिर जीवनशैली की मुख्यधारा में लौटने में कई वर्ष लग जाते है।

घरेलू हिंसा का सबसे बुरा पहलू वह है कि इससे पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात से वापस नहीं आ पाता है। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि लोग या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते है या फिर अवसाद का शिकार हो जाते है। घरेलू हिंसा की यह सबसे खतरनाक ओर दुखद स्थिति है कि जिन लोगो को हम इतना भरोसाा करते है और जिनके साथ रहते है जब वही हमे इस तरत का दुख देते है तो व्यक्ति का रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है और वह स्वयं को अकेला कर लेता है। कई बार इस स्थिति में लोग आत्महत्या तक कर लेते है।

निष्कर्ष– यदि हम सही मायनों में "महिलाओं के विरूद्ध हिंसा से मुक्त भारत" बनाना चाहते है तो वक्त आ चुका

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

है कि हमें एक राष्ट्र के रूप में सामूहिक तौर पर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। एक अच्छा तरीका यह हो सकता है कि हम राष्ट्रव्यापी, अनवरत तथा समृद्ध सामाजिक अभियान की शुरूआत करें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, गोपाल कृष्ण, (2015) : ''समाजशास्त्र'', एस.बी.पी.ओ. पब्लिशिंग हाउस, आगरा
2. गुप्ता, एम.एल. एवं शर्मा डी.डी., (2015) : ''समाजशास्त्र'', साहित्य भवन पब्लिकेशन हाउस, आगरा
3. धूपकरिया, लता, (2005) : ''महिला मानवाधिकार एवं घरेलू हिंसा अधिनियम'' 2005। इन्द्रियानुभविक अध्ययन ''अप्रकाशित शोध समाजशास्त्र संकाय, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म0प्र0)
4. श्रीवास्तव, सुधारानी, (2009) : ''महिला उत्पीड़न और वैधानिक उपचार प्रकाशक अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली
5. सक्सेना, अल्का एवं गुप्ता, चन्द्र सुभाष, (2011) : ''पारिवारिक प्रताड़ना एवं महिलाएं'' प्रकाशक राधा पब्लिकेशन 4231/1 अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली
6. रिजवी, आबिद, आबिद (2012) : '' महिला अधिकार कानून'' तुलसी साहित्य, पब्लिकेन्स, गाँधी मार्ग, निकट ओडियन सिनेमा, मेरठ (उ0प्र0)

*****